संख्या-7/293/21-उर्दू-1-2014(322/2013)

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

फखरूददीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

विभूति खण्ड,गोमती नगर,लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2014

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष के लिए फखरूददीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की योजनाओं के संचालनार्थ आयोजनेत्तर पक्ष से अंतिम किस्त की स्वीकृति।

महोदय,

उक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय फखरूददीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 की शेष अवधि में कार्यक्रमों एंव क्रियाकलापों चालन हेतु आयोजनेत्तर पक्ष से गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 24-00 लाख (रूपये चैबीस लाख मात्र) मे से अवशेष अंश रू0 12,00,000/- (रू0 बारह लाख मात्र) की स्वीकृति अंतिम किस्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

1- धनराशि का व्यय केवल वर्तमान चालू व अनुमोदित योजनाओं एंव मदों पर किया जायेगा उसके अतिरिक्त किसी भी नयी मदों/सेवाओं तथा कार्यक्रमों पर व्यय के लिए न किया जाये तथा अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक 30 अप्रैल,2015 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2- स्वीकृत धनराशि कोषागार से एक मुश्त नहीं आहरित की जायेगी बल्कि व्यय होने की सीमा तक आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरित की जायेगी और नियमानुसार ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से व्यय की जायेगी तथा बिल अनु सचिव, (भाषा) भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16- ए में दिये गये हैं।

4- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि रू0 12,00,000 मात्र (रू0 बारह लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-39 के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनेत्तर-05-भाषा विकास-102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संम्बद्र्वन-07-स्व0 फखरूददीन अली अहमद स्मारक समिति को अनुदान-20- सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7 के अर्द्व0 शा0 पत्र संख्या-ई-7-1315-दस-2014 दिनांक 13-11-2014 द्वारा उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव

संख्या-293/21-उर्दू-1-2014(322/2013)तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद को इस आशय के साथ कि स्व0 फखरूददीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ के लेखों का सम्परीक्षण प्रतिवेदन शासन को यथा समय भेजने का कष्ट करें।
4- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रट लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-7
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)
अनु सचिव (भाषा)

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in